माननीय न्यायालय –राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग/2012/II/15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

मोहम्मद नईम पुत्र नूरमोहम्मद, उम्र–43
निवासी– ग्राम कुम्हर्रा तहसील–ओरछा
जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

1.राजस्व निरीक्षक ओरछा तहसील–ओरछा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

2.नारायण सिंह पुत्र श्री रामप्रताप याद्रव
निवासी–ग्राम कुम्हर्रा तहसील–ओरछा
जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 07/09/15 प्रस्तुत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959, राजस्व निरीक्षक वृत ओरछा द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 22.06.2015 से उद्भुत हुई है, आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एनेक्जर पी/1 संलग्न है।

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है –:

1. यहकि, प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक क्रमांक–2 के द्वारा ग्राम कुम्हर्राखास में स्थित भूमि सर्वे न. 463 रक्वा 4.110 हेक्टेयर का सीमाकंन कराने के लिए राजस्व निरीक्षक वृत ओरछा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा कानून की विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अवैधानिक रीति से दिनांक 22.06.2015 को सीमाकंन का आदेश पारित किया गया।

2. यहकि, सीमाकंन की जानकारी आवेदक को उस समय हुई जब इस एक पक्षीय सीमाकंन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ ने आवेदक को धारा–250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर आवेदक द्वारा निहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपी एनेक्जर पी/2 संलग्न है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3012/II/15 जिला टीकमगढ़

मो० नईम ... नायक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.9.15	आवेदक अभि० श्री उदित सक्सेना उपस्थित। आवेदक अभि० को प्रकरण में सुना गया। आपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक के आवेदन पर भूमि सर्वे क्रमांक 463 का जो सीमांकन किया गया है उस सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सीमांकन के संबंध में ~~[illegible]~~ सुना ही गया। सीमांकन की जो जो कार्यवाही की गई है वह सहज न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप न होने से संहिता की धारा 129 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। उक्त संबंध में अधीनस्थ रा०नि० की सीमांकन कार्यवाही का अवलोकन किया। अवलोकन से आवेदक के तर्कों की पुष्टि होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ रा०नि० की सीमांकन कार्यवाही विधि विरुद्ध होने से निरस्त की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही पुनः उभयपक्षों की उपस्थिति में समस्त सरहद्दी हितबद्ध व्यक्तियों एवं काश्तकारों को समक्ष में सूचना उपरांत सुनकर नियमानुसार सीमांकन की कार्यवाही करें। समस्त कार्यवाही 3 माह में पूर्ण की जावे। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है। सदस्य	

[कृ. प.